

निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़
मि0न0 08/अपील/21

01. रामलाल आ0 कालूनाथ जाति नाथ नि0 ग्राम सलावद तहसील बकानी
02. श्यामलाल आ0 कालूनाथ जाति नाथ नि0 ग्राम सलावद तहसील बकानी
(अपीलान्त)



बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बकानी

(रेस्प0)

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बकानी दिनांक 16.10.2020 तहत धारा 75
भूराजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:- श्री संजय कुमार सक्सेना, अभिभाषक अपीलान्तस
पेरोकार सरकार

-: निर्णय :-

दिनांक: 03.08.2021

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 16.10.2020 जो मिसल न0 1101/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम सलावद की आराजी ख0न0 662 रकबा 0.01 बीघा किस्म गे0मु0रास्ता पर अतिक्रमी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 03/-रु. शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून, तथ्य एवं प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को कोई वैधानिक नोटिस नहीं दिया गया है व जवाब/साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया और ना पटवारी के बयान लिये गये और ना ही पटवारी से जिरह का अवसर दिया गया है, अपीलान्त का विवादग्रस्त आराजी पर पूर्व में कमी कब्जा रहा हो इस बात की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अपीलान्त द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं होने का प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया है व तथा जुर्माना जमा कर दिया गया है वर्तमान में भूमि रिक्त पड़ी हुई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त ने आराजी पर से कब्जा हटा लिया है पेनल्टी की राशि जमा करवादी है। अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को नोटिस तो खसरा न0 676 की आराजी का दिया गया है किन्तु निर्णय खसरा न0 662 की आराजी बाबत पारित किया गया है, आराजी पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है व पेनल्टी की राशि जमा करवा दी गई है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा गे0मु0रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार अपीलान्तस को ग्राम सलावद की आराजी ख0न0 676 की 0.01 बीघा गे0मु0रास्ता पर अतिक्रमी मानकर समस्त कार्यवाही सम्पादित की गई है किन्तु निर्णय ग्राम सलावद की आराजी ख0न0 662 की 0.01 बीघा का पारित किया गया है जो अभिभाषक अपीलान्तस की बहस की पुष्टी करता है। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही ख0न0 662 बाबत की गई है किन्तु निर्णय में ख0न0 676 अंकन हो गया है किन्तु इस मानवीय गलती से अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आराजी ख0न0 676 पर पूर्व में अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर मिसल न0 1099 निर्णय दिनांक 10.10.2019 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्त का ख0न0 676 की आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलान्त आदेश पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलान्त द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ तहसीलदार बकानी द्वारा जारी जो कब्जा छोड़ने की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है वह भी आराजी ख0न0 662 बाबत प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त विवेचन से प्रकरण की पुनः जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बकानी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के कब्जे की जांच कर सुनवाई पश्चात पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़